4. न्यायिक कार्य :— राजा न्याय की मूर्ति होता है, राजा का निर्णय सर्वोच्च होता है। वह किसी भी मामले में अपनी मन-मानी नहीं कर सकता उसका निर्णय न्याय पर आधारित होता है। राजा अपने राज्य में निम्नलिखित न्यायालयों की स्थापना करता है।

(I) जनपद संधि न्यायालय प्रत्येक गांव के लिए (II) दस गांवों के लिए संग्रह न्यायालय (III) चार सौ गांवों के लिए द्रोणमुख न्यायालय और (IV) स्थानीय न्यायालय।

राजा न्यायपालिका के द्वारा दोषी व्यक्तियों को दण्ड की व्यवस्था करता है।

5. आर्थिक कार्य :— राजा खेती (कृषि) वाणिज्य एवं उद्योग धंधों की व्यवस्था करता है। राजा राज्य में खदानें, जंगलों से इमारती लकड़ी, वस्तुओं का निर्माण, जंगलों से हाथियों को प्राप्त करना अच्छी नस्ल के पशुओं को पैदा करने का प्रबंध करना भी राजा के द्वारा होता है।

6. आय-व्यय संबंधी कार्य :— राजा को आय-व्यय संबंधी हिसाब और प्रबंधन का कार्य भी करना चाहिए, लेकिन यह कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाना चाहिए। घाटे का बजट राज्य का विनाश करता है, और प्रजा को दरिद्र बनाता है।

7. लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य :— कौटिल्य राजा को लोकहित एवं सामाजिक कल्याण संबंधी भी कार्य सौंपे हैं। इसके अन्तर्गत दान देना असहाय, अनाथ, वृद्ध लोगों का पालन-पोषण की व्यवस्था करना, गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करना, जो किसान खेती नहीं कर पाते हैं उनकी जमीन को दूसरे किसान को देना। राज्य में बाँध बनवाना, जलमार्ग, स्थलमार्ग बाजार, जलाशय बनवाना, यदि राज्य में सूखा (दुर्भिक्ष) के किसानों को बीज उपलब्ध कराना, और आवश्यक हो तो धनवानों पर अधिक कर लगाकर उसको गरीबों में बाँट देना चाहिए।

8. युद्ध करना :— कौटिल्य के अनुसार युद्ध राज्य का एक प्रमुख कार्य है। कौटिल्य के "अर्थशास्त्र" का केन्द्र एक ऐसा विजिगीषु राजा है, जिसका उद्देश्य अपने भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि करना कौटिल्य राजा की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी

Scanned with CamScanner

मापदण्ड से निश्चित करता है, कि वे राज्य को किस सीमा तक एक सफल युद्ध के लिए तैयार करती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों में से 9(नौ) अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध से ही संबंध रखते है। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने कर्तव्यों का पालन लोकहित की भावना से ही किया जाना चाहिए।

क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है ?

कौटिल्य ने अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में राजतंत्र (King ship) को ही एकमात्र शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ माना है। और राज्य के सात अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है। राजा को अपार शक्तियां प्राप्त है। किन्तु राजा सर्वोच्च शक्तिमान होते हुए भी निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसपर कुछ ऐसे प्रतिबंध है जिसके कारण वह मनमानी नहीं कर सकता। राजा के ऊपर निम्न प्रकार के प्रतिबंध है।

1. शिक्षा :— शिक्षा पर कौटिल्य अधिक बल देता है। कौटिल्य का राजा सर्वगुण सम्पन्न है, स्वभाव से ही वह निरंकुश नहीं हो सकता। शिक्षा पर बल देकर ऐसे संस्कार डाले है कि वह निरंकुशता का मार्ग न अपनाकर लोकहित के कार्यों में लगा रहे।

2. कठोर दिनचर्या :— कौटिल्य ने राजा के लिए एक ऐसी व्यस्त और कठोर दिनचर्या का चित्र चित्रित किया है कि जो उसे निरंकुश होने का समय ही प्रदान नहीं करता।

3. वित्तीय अधिकार एवं मंत्रि परिषद का नियंत्रण :— कौटिल्य के अनुसार राजा राजकोष का उपयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं केवल जनकल्याण के लिए करता है। कौटिल्य ने प्रजा के हाथ में वित्तीय अधिकार देकर निश्चय ही राजा को निरंकुश बनने से रोका है।

राजा की शक्ति पर मंत्रि परिषद का नियंत्रण था। मंत्रि परिषद राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखकर उसे निरंकुश होने से रोकता है।

अन्तमें निष्कर्ष के रूप में कह सकते है कि राजा को सर्वोच्च शक्तियां प्रदान की गयी है। फिर भी वह पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं हो सकता है। श्री कृष्णा राव के अनुसार "कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के सुमर्यादित नियमों के अधीन रहता है"।

Scanned with CamScanner